न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 122 / 2023

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. रूपाराम पुत्र हरचन्दराम जाति जाट निवासी केरलीवास, होडू तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. अर्जुनराम पुत्र लालाराम 2. कंवराराम पुत्र पदमाराम 3. खरथाराम पुत्र पदमाराम 4. गैनाराम पुत्र गंगाराम 5. पुरखाराम पुत्र मूलाराम 6. लाली पत्नि लालाराम 7. हरजीराम पुत्र मूलाराम 8. नारणाराम पुत्र हरचन्दराम 9. किसनाराम पुत्र गिरधारीराम 10. जोधाराम पुत्र रामजी राम 11. प्रभूराम पुत्र जोधाराम 12. मानीदेवी पत्नि नरीगा 13. मोडाराम पुत्र रामजीराम 14. राणाराम पुत्र नरीगाराम 15. भीयाराम पुत्र नानगाराम जातियान जाट निवासी केरलीवास होडू तहसील सिणधरी 16. मीरादेवी पत्नि बाबूलाल जाति सोनी निवासी केरलीवास तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 17. कालूराम पुत्र शंभूराम 18. चूगी पत्नि सोनाराम 19. डूंगराराम पुत्र शंभुराम 20. मांगाराम पुत्र सोनराम 21. हेमाराम पुत्र सोनाराम 22. [illegible] पुत्र शंभुराम जातियान [illegible]का निवासीयान सरणू [illegible] तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 23. तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति

1 श्री पाबुराम बेनिवाल प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2 विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 14.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खेत मौजा केरलीवास पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा खसरा संख्या 278/155 रकबा 9.6432 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा केरलीवास पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा खसरा संख्या 278/155 रकबा 9.6432 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा केरलीवास पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा खसरा संख्या 278/155 रकबा 9.6432 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी [illegible] मौजा केरलीवास पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा खसरा संख्या 278/155 रकबा 9.6432 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा केरलीवास पटवार क्षेत्र होडू तहसील

खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की मेड़बन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विपक्षीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विपक्षीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कोटलीयास पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खेत खसरा खसरा संख्या 278/133 रकबा 2.6452 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के मेढ़क स्थापित करते हुए मेड़बन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विपक्षीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/ प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। मानचित्र रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:08 IST
Reason: SelfAttested